

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना - मऊदरवाजा

दि०-28.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुदीप पुत्र लालाराम निवासी मो० हाता इस्लाम खाँ भीकमपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु०अ०स० - 281/2023 वाद संख्या 4501/2024 धारा 224 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे - 03 कोर्ट द्वारा दिनांक 28.09.2026 को दोषसिद्ध कर 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिंह



एडीजीसी - श्री संजीव कुमार पाल



को० मो० - हे०का० हरवेन्द्र सिंह



पैरोकार - का० गुलाम गौस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना -मऊदरवाजा

दि0-28.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुदीप पुत्र लालाराम निवासी मो० हाता इस्लाम खाँ भीकमपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु०अ०स० - 128/2023 वाद संख्या 536/2026 धारा379/413 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे - 03 कोर्ट द्वारा दिनांक 28.09.2026 को दोषसिद्ध कर 04 वर्ष का कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिंह



एडीजीसी - श्री संजीव कुमार पाल



को० मो० - हे०का० हरवेन्द्र सिंह



पैरोकार - का० गुलाम गौस